44/2015-

संख्या-927/नौ-5-2015-104सा/2014

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊः दिनांकः 02 मार्च, 2015

विषयः रामपुर में सालिड वेस्ट मनेजमेंट प्लांट की स्थापना हेतु ग्राम टिकटगंज की प्रस्तावित भूमि के स्थान पर ग्राम शरजाद नगर, तहसील-सदर की 6.551 हे0 भूमि से सम्बन्धित कृषकों की सहमति के माध्यम से बैयनामा भूमि क्रय किए जाने हेतु आवश्यक धनराशि को उ0प्र0 जल निगम के पीएलए में रक्षित धनराशि से आहरित कर व्यय किये जाने की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, रामपुर के पत्र संख्या-221/8-एल.ए.सी., दिनांक 29.01.2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रामपुर में सालिड वेस्ट मनेजमेंट प्लांट की स्थापना हेतु ग्राम टिकटगंज की प्रस्तावित भूमि के स्थान पर ग्राम शरजाद नगर, तहसील-सदर की 6.551 हे0 भूमि से सम्बन्धित कृषकों की सहमति के माध्यम से बैयनामा भूमि क्रय किए जाने हेतु अपेक्षित धनराशि ₹ 18,34,28,000.00 के सापेक्ष शासनादेश संख्या-4768/नौ-5-2014-104सा/14, दिनांक 25.08.2014 द्वारा सॉलिडवेस्ट मैनेजमेन्ट प्लांट की स्थापना हेतु ग्राम टिकटगंज की पूर्व में प्रस्तावित भूमि के अर्जन हेतु स्वीकृत धनराशि रू0 2,05,98,768.00 मात्र के समायोजन के पश्चात् अवशेष धनराशि ₹ 16,28,29,232.00 मात्र तथा निबंधन शुल्क की धनराशि ₹ 10,020.00 मात्र को जोड़ते हुए ₹ **16,28,39,252.00 (₹ सोलह करोड़ अठ्ठाइस लाख उन्तालिस हजार दो सौ बावन मात्र)** स्वीकृत किये जाने तथा शासनादेश संख्या-1821/नौ-5-2013-14बजट/2012टीसी दिनांक 31 मार्च, 2013 द्वारा उ0प्र0 जल निगम के पीएलए में रक्षित धनराशि ₹ 75.00 करोड़ में से आहरित कर व्यय किये जाने पर श्री राज्यपाल एतद्द्वारा निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि उ0प्र0 जल निगम के पीएलए से आहरित कर जिलाधिकारी, रामपुर को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।
(2) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का पीएलए से आहरण सुसंगत नियमों/प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।
(3) कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।
(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
(5) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
(6) प्रश्नगत कार्य की पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी।
(7) राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(8) भूमि अर्जन से सम्बन्धित समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेंगी।

2- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों, उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामलें की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-8-442/दस-2015, दिनांक 2 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-927(1)/नौ-5-2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, वर्क्स लेखा अनुभाग, उ0 प्र0, इलाहाबाद।
2- मण्डलायुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।
3- जिलाधिकारी, रामपुर को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में।
4- जिलाधिकारी, लखनऊ।
5- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
6- निदेशक, नगरीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7- निदेशक, सीएण्डडीएस, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
8- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, रामपुर।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/9 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10- कम्प्यूटर सेल/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।